न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 119/2017
सीएमएस : 2017/807

1. रावताराम पुत्र श्री रूघाराम जाति जाट नि. 28 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़। (मृतक)

1/1.सन्तोष पत्नी स्व. रावताराम पुत्र श्री रूघाराम जाति जाट नि. 28 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

1/2.पटेल कुमार पुत्र स्व. रावताराम जाति जाट नि. 28 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

1/3.पवन कुमार पुत्र स्व. रावताराम जाति जाट नि. 28 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

2. काशीराम पुत्र श्री रूघाराम जाति जाट नि. 28 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़। (मृतक)

2/1.गुड्डी देवी पत्नि स्व. काशीराम जाति जाट नि. 28 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

2/2.हनुमान प्रसाद पुत्र स्व. काशीराम जाति जाट नि. 28 एमएल तहसील रायसिहनगर जिला अनूपगढ़।

2/3.लक्ष्मी पत्नी स्व. काशीराम जाति जाट नि. 45 एलएलडब्ल्यू तहसील व जिला श्री गगांनगर।

2/4.विजयसिहं पुत्र स्व. श्री काशीराम जाति जाट नि. 28 एमएल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़। (मृतक)

2/4/1.सन्तोष पत्नि स्व. विजयसिहं जाति जाट नि. 28 एम एल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

2/4/2.सचिन पुत्र स्व.विजयसिहं जाति जाट नि. 28 एम एल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

2/4/3.अंकित पुत्र स्व.विजयसिहं जाति जाट नि. 28 एम एल तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

प्रार्थीगण :—

बनाम

1 .मनफूल पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी 28 एम एल तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।

अप्रार्थीगणः—

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त. अधि. 1955

उपस्थिति :—

श्री दिनेश कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री गुरप्रताप सिंह धारीवाल अधिवक्ता अप्रार्थी

—: निर्णय :— दिनांकः— 20.12.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी रावताराम पुत्र रूधाराम जाति जाट निवासी 28 एम एल तहसील रायसिंहनगर वगैरा की ओर से श्री दिनेश कुमार जोशी अधिवक्ता ने वाद —पत्र के साथ स्थगन आदेश प्रा.पत्र प्रस्तुत [illegible] ल रायसिंहनगर के रणजीतसिहं पुत्र घीला सिहं (गीलासिहं) जाति जटसि[illegible] चक 28 एम एल के मु.न. 6 में 6 बीधा भूमि जो कि.न. [illegible] नया 23 प.न. 111/287 में 12—06 बीधा , कि.न. 1—2 , 3 ता 8 , 9—[illegible] 14 ता 16 , 17—25 में स्थित थी , इस प्रकार रणजीत सिहं के पास मु.न. 6 [illegible] मु.न. 29 नया 23 में 12—06 बीस्वा भूमि भूमि अलाटशुदा थी। उक्त भूमि [illegible] ण ने रणजीत सिहं पुत्र घीला सिहं से वर्ष 1972 में 12 किला भूमि क्रय की जिसके बाद प्रार्थीगण के पास उक्त

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:08:19 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

क 28 एम एल बी के मु.न. 23 /29 प.न. 111/287 के कि.न. 8 सालम, 9/2के.126, 3/2के.126, 14 ता 16 सालम–सालम , 17/2 के .127, 25/2 के .127 कुल 1.518 है. हरी कृषि भूमि प्रार्थी सं. 1 पास व इसी मुरब्बा में प्रार्थी सं. 2 के पास कि.न. 2 ता 7 ालम कुल 1.518है. नहरी कृषि भूमि खातेदारी है। जो कि पूर्व में रणजीत सिहं से क्रय ार्थीगण ने की थी। प्रार्थीगण ने रणजीतसिहं से मु.न. 29/23 प.न.111/287 में 12 किला मि उक्त विक्रय करने के पश्चात् उक्त मुरब्बे के कि.न. 1 में 6 बीस्वा भूमि शेष रह गई णजीतसिहं के द्वारा दिनांक 12.6.1972 को सरवन सिहं पुत्र कुण्डा सिहं जाति जटसिख . 28 एम एल को विक्रय कर दी गई। सरवन सिंह पुत्र कुण्डा सिहं के द्वारा जरिये यनामा दिनांक 25.5.1981 को उप पंजीयक रायसिंहनगर के द्वारा पंजीकृत था उक्त भूमि रवन सिहं द्वारा प्रार्थीगण को संभाला दी । जो कि एक हजार पांच सौ रूपये में विक्रय र दी थी ओर मौके पर कब्जा भी प्रार्थीगण को संभाला दिया तब से लगातार शान्तिपूर्वक ार्थीगण कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में नता है। दिनांक 3.10.2017 को उक्त रकबा की जमाबन्दी ली तो मालूम हुआ कि उक्त कबा उनके नाम नहीं चढ़ा । जो सहकाश्तकारान मनफूल के नाम थी। उक्त भूमि का ब्जा प्रार्थीगण के पास है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में है। उक्त मि का इन्तकाल प्रार्थीगण अपने नाम करवाने को अप्रार्थी को दिनांक 17.11.2017कहॉं तो न्कार हो गये इस कारण प्रार्थीगण के समक्ष श्रीमान् न्यायालय के यहॉं चाराजोही करने अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। अप्रार्थी सं. 1 यदि अपने मसूबो में कामयाब हो ाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति का सामना करना पडेगा जिसका मुद्राओं में ल्यांकन संभव नहीं हैं ।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र मय शपथ –पत्र स्थगन आदेश का स्वीकार जाने तु निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आश्य की स्थाई निषेघाज्ञा मूल वाद के र्णय तक पारित की जावे कि वाके चक 28 एम एल बी के मु.न. 29पुराना 23 नया प.न. 11/287 के कि.न. 1 के 6 बीस्वा नहरी कृषि भूमि को किसी अन्य को रहन बैय करने व न्य किसी भी तरीके से उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने से बाज व ममनू रहे।

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित क्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री गुरप्रताप सेहं अधिवक्ता उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि अपने जबाव ार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों का विरोध करते हुये अपने प्रतिरिक्त कथन में अंकित किया कि उक्त प्रा.पत्र के सन्दर्भ में प्रकरण सं. 54/2007 नवान काशीराम आदि बनाम मनफूलराम आदि जो दिनांक 9.6.2010 को खारिज हुआ । जो आदेश अंतिम हो चुका है। प्रार्थीगण द्वारा वाद लाकर कोई अनुतोष माननीय न्यायालय से पाने के कानूनन अधिकारी नहीं है ओर प्रार्थीगण क्लीनहेण्ड से न्यायालय में नहीं आये हैं उन्होने उक्त तथ्यों को छिपाया है वे सद्भावी नहीं है। इसलिये प्रकरण नाकाबिल चलने के है। प्रार्थीगण के अभिवचनों अनुसार रणजीतसिहं द्वारा सरवन सिहं के पक्ष में विवादित भूमि का कथित बैयनामा 12.6.1972 को करवाया जाना वा सरवन सिहं द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में कथित बैयनामां दिनांक 25.5.1981 को करवाया गया , मगर कथित बैयनामांजात अनुसार अभिलेखों में विधि द्वारा निर्धारित अवधि में नहीं करवाया जाने के कारण भी कथित बैयनामाजात शून्य, अवैध , अमान्य , प्रभावहीन दस्तावेज की श्रेणी में आता है। इसलिए भी प्रार्थीगण को विवादित रकबा पर कोई हक हकूक व अधिकार हासिल नहीं होने से वाद प्रार्थीगण काबिल निरस्ती के है। मिन अप्रार्थीगण को विवादित रकबा पर खातेदारी हक–हकूक व अधिकार हासिल होने से प्रथम–दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन वा अपूर्णिय क्षति के तीनों बिन्दु मिन अप्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण काबिल निरस्ती के है। अतः जबाव प्रा.पत्र म... प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्त... खारिज फरमाया जाकर खर्चा जबावदेही वा विशेष हर्जाना मिन अप्रार्थी को प्रार्थीगण से दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.02.25 11:08:19 IST
Reason: SelfAttested

बहस पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी ... ने अपनी बहस मे प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा विवादित भूमि उनकी खरीद शुदा है। जिस पर खरीद दिनांक से कब्जा काश्त है। जिसमें अप्रार्थी मूलवाद के निर्णय तक बैय करने बाज व ममनु

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

तब तक रकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे । वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जबाव
ना–पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का
कब्जा नहीं रहा है। विवादित भूमि अप्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थीगण वाद–पत्र पूर्व में खारिज
चुका है। अब कोई इस न्यायालय से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त भूमि में कोई
व अधिकार प्रार्थीगण को नहीं है।अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने
दन किया है।

प्रार्थीगण सन्तोष वगैरा ने दिनांक 5.–6.–2024 को जरिये अधिवक्ता प्रा.पत्र आदेश
नियम 1–2–3 व 9 एवं धारा 151सीपीसी का मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि
र्थीगण दोनों की मृत्यु हो चुकी है। जिसकी प्रति वकील अप्रार्थी को दिलवाई गई। न्यायहित
उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया। वकील प्रार्थीगण ने संशोधन शीर्षक प्रस्तुत किया
या।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तगण का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया गया। तथा पत्रावली
उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। विवादित भूमि चक वाके 28 एम एल बी के मु.प.
29 पुराना 23 नया प.न. 111/287 के कि.न. 1 के 6 बीस्वा भूमि प्रार्थीगण की रणजीत
हं पुत्र धीला सिहं से सरवन सिहं पुत्र कुण्डा सिहं जाति जटसिख निवासी 28 एम एल से
रिये प्रार्थीगण ने दिनांक 25.5.1981 से उप पंजीयक रायसिहंनगर से पंजीबद्व बैयनामा से
रीद की की है। तब से आज तक लगातार कब्जा चला आ रहा है।प्रत्येक सालम–सालम
प्रकार दोनो मुरब्बों में 2.809 है. नहरी भूमि हिन्दू संयुक्त परिवार की सहदायगी संपत्ति है
अप्रार्थीगण की स्वयंअर्जित सम्पति है। इस मे प्रार्थी का हिस्सा बनता है या नहीं। इन
दूओ का निस्तारण मूलवाद में दोनों पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर मेरिट के आधार पर तय
या जाना है। फिलहाल तो स्थगन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जाना है। विवादित भूमि
तस्व रिकॉर्ड मे अप्रार्थीगण के नाम से है। जिसका फायदा उठाकर उक्त भूमि बेचान किया
ता है तो इससे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण का न होकर प्रार्थीगण को होगा। भूमि का बेचान
पर अनावश्यक रूप से विवाद बढेगा। विवादित भूमि अप्रार्थीगण के द्वारा बेचान कर दी
ती है तो इसे अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को न होकर प्रार्थीगण को होगी जिसका ना पूरा
वाला नुकसान की भरपाई मुद्राओ में नहीं आकी जा सकेगी। तथा ऐसे में सुविधा का
लन भी प्रार्थीगण के पक्ष प्रतीत होता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष
होकर प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। ऐसे में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार
या जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के
द्व इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि वाके वाके चक 28 एम एल बी
मु.न. 29 पुराना 23 नया प.न. 111/287 के कि.न. 1 के 6 बीस्वा नहरी कृषि भूमि को
सी अन्य को रहन बैय करने व अन्य किसी भी तरीके से उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने
बाज व ममनू रहे।को किसी प्रकार से रहन बैय हंस्तारितना करें तथा मौका व रिकॉर्ड की
ास्थिति बनाये रखे व ऐसाकोईकृत्य ना करें जिसे प्रार्थीगण को नुकसान होता हो। दिनांक
12.2017 को जारी अस्थाइ 'निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता हैं ।
वली निर्णित होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।
आदेश आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाकर सुनाया गया।

(सुभाष चन्द्र)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash
Chandra
Date: 2025.02.25 11:08:19 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner